

सं.11011/03/2018/हिं.का.क.

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक : 04 अक्टूबर, 2018

विषय : आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक  
03.10.2018 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक  
03.10.2018 को अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपर्युक्त बैठक का  
कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है। कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों  
पर कृपया आवश्यक कार्रवाई करके अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 16.11.2018  
तक भिजवा दी जाए।



(रमेशबाबू अणियेरी)  
निदेशक (राजभाषा)  
दूरभाष: 23095070

संलग्न : यथोपरि।

1. आर्थिक कार्य विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. आर्थिक कार्य विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. वरिष्ठ निदेशक, एनआईसी, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (राजभाषा), आर्थिक कार्य विभाग।
5. हिंदी कार्यान्वयन कक्ष, आर्थिक कार्य विभाग।
6. सहायक निदेशक (राजभाषा), हिंदी 1,2,3 और 4 अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के प्रधान निजी सचिव, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. अपर सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, जयसिंह रोड,  
नई दिल्ली।

**भारत सरकार**  
**वित्त मंत्रालय**  
**आर्थिक कार्य विभाग**

**आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की**  
**दिनांक 03.10.2018 को हुई बैठक का कार्यवृत्त**

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री के.राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में दिनांक 03.10.2018 को संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट के रूप में इसके साथ संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में, निदेशक (राजभाषा) ने समिति के अध्यक्ष और बैठक में उपस्थित सभी का स्वागत किया। तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, कार्यसूची की मर्दों के अनुसार विधिवत् रूप से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

3. सबसे पहले, विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 02.07.2018 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

4. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाइयों से समिति को अवगत कराया गया, जो निम्नलिखित है :

(क) हिंदी में मूल पत्राचार तथा हिंदी नोटिंग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभाग के अनुभाग प्रयासरत हैं। तथापि, कुछ अनुभागों में इस संबंध में स्थिति संतोषजनक नहीं है। हिंदी में मूल पत्राचार तथा नोटिंग बढ़ाने के लिए विभाग के अनुभागों को समय-समय पर निदेश दिया जाता है। समीक्षाधीन अवधि (दिनांक 30.06.2018 को समाप्त तिमाही) की हिंदी पत्राचार तथा हिंदी नोटिंग की स्थिति कार्यसूची सामग्री के पृष्ठ संख्या 12 से 18 पर दर्शाई गई थी।

(ख) सरल हिंदी के प्रयोग के बारे में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में समिति को यह अवगत कराया गया कि विभाग में इस समय सरल हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। विभाग के हिंदी अनुभाग भी इस पर विशेष ध्यान देते हैं कि हिंदी अनुवाद करते समय अधिक प्रचलित और साधारण प्रयोग में आने वाले हिंदी शब्दों का ही प्रयोग किया जाए।

(ग) अधिकारियों और कर्मचारियों को कम्प्यूटरों पर हिंदी टाइपिंग की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशाला आयोजित करने से संबंधित निर्णय के बारे में समिति को सूचित किया गया कि विभाग में 'हिंदी माह' समारोह के आयोजन की व्यस्तता के कारण, उक्त कार्यशाला का आयोजन समय पर संभव नहीं हो पाया और अक्टूबर, 2018 में ही यह कार्यशाला आयोजित की जाएगी।